न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 271/2018
जी.सी.एम.एस. :: 2018/00366

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. गोगी देवी पत्नी सुजाराम जाति मेघवाल 2. बाबुदास पुत्र कुन्दनदास 3. सन्तोषदास पुत्र कुन्दनदास जातिगण कामड़ निवासीगण पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत पाचुण्डाखुर्द, पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 408 रकबा 0.67 बीघा किस्म बा.दो. जिसके पुराने खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त भु–प्रबन्ध 2010–19 के अनुसार 200 रकबा 12.30 बीघा किस्म गै.मु.नाडा दर्ज थी, की किस्म परिवर्तन कर नियम विरूद्ध किये गये आवंटन को निरस्त करने के लिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

सरकारी पैराकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पाचुण्डा खुर्द, पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत जिला पाली के मिसल बन्दोबस्त भु–प्रबन्ध 2010–19 के अनुसार खसरा नम्बर 200 रकबा 12.30 बीघा किस्म गै.मु.नाडा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 408 रकबा 0.67 बीघा किस्म बा.दो. की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम आवंटित की गई जो पूर्व में गै.मु.नाडा. दर्ज थी। आवंटन की पालना में अप्रार्थी गोगीदेवी पत्नी सुजाराम जाति मेघवाल, बाबुदास पुत्र कुन्दनदास, सन्तोष पुत्र कुन्दनदास जाति कामड़ के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटित भूमि की किस्म गै.मु.नाडा होने से यह भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है, जिससे उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ तथा आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से प्रश्नगत आराजी की भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 65, 135, 266, 267 को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम पाचुण्डा खुर्द, पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 200 रकबा 12.30 बीघा किस्म गै.मु.नाडा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 408 रकबा 0.67 बीघा किस्म बा.दो. की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम आवंटित की गई। जैर प्रार्थना पत्र आराजी मिसल बन्दोबस्त 2010 से 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 200 कि किस्म गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण को आवंटन कमेटी के आदेशानुसार किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 65, 135, 266 एवं 267 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया गया जो जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061, सम्वत् 2066–2069 के अवलोकन से स्पष्ट है।

अतः अप्रार्थी के पति को गैर मुमकिन नाडा किस्म की भूमि का आंवटन हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में है। साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 65, 135, 266 एवं 267 विधिविरूद्ध होने से इन्हे कायम रखा जाना न्यायसंगत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 65, 135, 266 एवं 267 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी कि किस्म पुनः गैर मुमकीन नाडा एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली